निग /295ए/II/15

295
4-8-15

न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट रीवा जिला रीवा म0प्र0

प्रकरण क्र0............ /15

Rs. 20/-

खुदा बक्स तनय इमाम बक्स उम्र 65 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम पिपराव तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 ----- आवेदक /निगरानीकर्ता

बनाम

1– फातमा बेगम पति मो0 उस्मान खा निवासी ग्राम पिपराव तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

2– म0प्र0 शासन ---- अनावेदिका / गैरनिगराकारगण

निगरानी विरूद्व निर्णय व आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 के प्रकरण कमांक 4/अ–12 /13–14 निर्णय दिनांक 07–04–15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

श्री रामउजागर सिंह तिवारी एड के द्वारा आज दिनांक 4-8-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर 4.8.15
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी का संक्षिप्त तथ्य निम्न है:–

1– यह कि आराजी नं0 840 रकवा 0.02 हे0 एवं 841 रकवा 0.066 हे0 किता 2 स्थिति ग्राम पिपराव तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 का फर्जी सीमाकन गैर निगराकार क0 1 फातमा बेगम द्वारा तत्कालीन पटवारी, पटवारी हल्का पिपराव से साठ गाठ करके सरहदी कास्तकारों को गैर निगराकार के कूट रचना के द्वारा पटवारी द्वारा दिनांक 11–06–14 को सीमांकन करने की सूचना दी गई जब कि उस दिन पूरे समय तक निगरानी कर्ता सीमांकन की कार्यवाही हेतु बैठा रह गया किन्तु पटवारी साहब सीमांकन करने नहीं आये इसके बाद आवेदक घर चला गया इसके बाद दिनांक 12–06–14 को भी निगरानी कर्ता द्वारा सीमांकन की कार्यवाही करने का इन्तजार करता रहा किन्तु उस दिन पटवारी महोदय, नहीं आये इसके बाद गाव के लोगो द्वारा पता चला कि पटवारी साहब दिनांक 12-06-14 को शाम 5 बजे आये थे और सीमांकन करने की बात कह रहे थे तब निगरानी कर्ता द्वारा

खुदाबक्श

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 2954-II/15 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	खुदाबक्स कार्यवाही तथा आदेश फातमा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-12-2015	मेरे द्वारा प्रकरण में कायमी पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा नस्ती में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । निगराकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वहीं तर्क प्रस्तुत किये गये जों निगरानी मेमों में उल्लिखित किये गये है। 2 तहसीलदार, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 4/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 7–4–15 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में स्थल निरीक्षण किया गया है एवं सत्यापन पश्चात पटवारी द्वारा निर्धारित किये गये सीमा चिन्ह सही पाये गये है तथा सूचना पत्र अनुसार सरहदी कृषकों को सूचना दी गई है, जिसमें आवेदक के भी हस्ताक्षर है एवं प्रकरण में साक्ष्य भी ली गई है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । आवेदक द्वारा तर्क के समय ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि उसकी भूमि लगी हुई है, जिससे उसके हित प्रभावित हो रहे हो । ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दा० रि० हो । 1-12-15 (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	